



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 2013/माघ 4, 1934

No. 247]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2013/MAGHA 4, 1934

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2013

का.आ. 268(अ).—राष्ट्रपति, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पी. सतासीवम को दिनांक 25 जनवरी, 2013 से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करते हैं।

[फा. सं. ए-12023 (3)/01/2013-प्रशा.-III (वि. का.)]

डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2013

S.O. 268(E).—In exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (2) of Section 3 of the Legal Services Authorities Act, 1987, the President is pleased to nominate Hon'ble Shri Justice P. Sathasivam, Judge, Supreme Court of India as Executive Chairman, National Legal Services Authority, with effect from 25th January, 2013.

[F. No. A-12023(3)/01/2013-Admn. III (LA)]

Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Secy.